झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
आपराधिक विधिक याचिका संख्या 1621/2022

1. डॉ दीना नाथ सिंह, उम्र लगभग 65 वर्ष, पिता सुन्दर सिंह,
2. डॉ किरण माला, उम्र लगभग 51 वर्ष, पिता रामानंद सिंह
निवासी पुराण पेट्रोल पंप, छोटा पंचगढ़, जिरवा बरी, डाकघर साहिबगंज, थाना बोरिओ(ज), जिला साहिबगंज

... याचिकाकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य एवं अन्य

... विरोधी पक्ष

याचिकाकर्ता के लिएः श्री अमन शेखर, अधिवक्ता
राज्य के लिए: श्रीमती प्रिया श्रेष्ठ, विशेष लोक अभियोजक

<u>प्रस्तुत</u>

<u>माननीय न्यायधीश श्री अनिल कुमार चौधरी</u>

न्यायालय द्वारा : दोनों पक्षों को सुना

2. इस आपराधिक विविध याचिका को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर किया गया है, जिसमें तलझारी थाना केस नंबर 113/2019 की कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली सभी बाद की कार्यवाही सहित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने का अनुरोध किया गया है जी.आर मामला संख्या 754/ 2019 के अनुरूप भारतीय दंड संहिता की धारा 302,201,120 (बी) 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पंजीकृत है, जो कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजमहल की अदालत में लंबित है।

3. याचिकाकर्ताओं के लिए अधिवक्ता, इस न्यायालय का ध्यान संक्षिप्त विवरण और प्रस्तुतियाँ के पृष्ठ 21 की ओर आकर्षित करते हुए प्रस्तुत करते हैं कि शिकायतकर्ता/सूचना देने वाले जोगान महालदार ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, साहिबगंज के न्यायालय में शिकायत मामला संख्या 965/2016 दायर किया।इस दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत बोरियो (जे) थाना को भेजा गया और इसके परिणामस्वरूप, बोरियो (जे) थाना केस संख्या 60/2020 दर्ज किया गया, लेकिन अनजाने में, हालांकि सम्माननीय उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शिकायत की प्रति बोरियो (जे) थाना को स्पष्ट रूप से भेजी थी, तालझारी थाना केस संख्या 113/2019 बिना किसी आधार के अवैध रूप से दर्ज किया गया। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि जी. आर.संख्या 754/2019 के अनुरूप तलझड़ी थाना केस संख्या 113/2019 से उत्पन्न होने वाली सभी बाद की कार्यवाही सहित प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजमहल की अदालत में लंबित है, को रद्द कर दिया जाए और निरस्त कर दिया जाए।

4. राज्य की ओर से उपस्थित विशेष लोक अभियोजक निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं कि कुछ त्रुटि के कारण तालझारी थाना केस संख्या 113/2019 दर्ज किया गया है।

5. बार में की गई विपक्षी प्रस्तुतियों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, यह स्पष्ट है कि तालझारी थाना के प्रभारी अधिकारी ने तालझारी थाना केस संख्या 113/2019 को दर्ज करके गंभीर अवैधता की है, जबकि माननीय उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शिकायत मामला संख्या 965/2016 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट के लिए बोरियो (जे) पुलिस स्टेशन को भेजा था। इसी पर बोरियो (जे) थाना केस संख्या 60/2020 दर्ज किया गया, जिसमें मामले की जांच के बाद अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और याचिकाकर्ता को मुकदमे के लिए नहीं भेजा गया है, जैसा कि वाद के संक्षिप्त विवरण के पृष्ठ 28 से 31 (अनुबंध 2) से स्पष्ट है।

6. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ इस मामले को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा क्योंकि तलझरी थाना 113/2019 बिना किसी आधार के अवैध रूप से दर्ज किया गया है।

7. तदनुसार, जी. आर. संख्या 754/2019 के अनुरूप के तलझड़ी थाना केस संख्या संख्या 113/2019 से उत्पन्न होने वाली याचिकाकर्ता के खिलाफ सभी बाद की कार्यवाही सहित प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजमहल की अदालत में लंबित है, को रद्द कर दिया जाता है और निरस्त कर दिया जाता है।

8. परिणामस्वरुप, इस आपराधिक विविध याचिका की अनुमति दी जाती है।

(श्री अनिल कुमार चौधरी, न्यायधीश)

झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 15 जनवरी 2024
ए.एफ.आर/ अनिमेष

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|